अध्याय VI

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय VI

वित्तीय प्रबंधन

वित्तपोषण को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने के लिए प्रमुख नीतिगत प्रासंगिकता के क्षेत्र के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। उचित स्वास्थ्य वित्तपोषण, स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करने, सभी जनसंख्या समूहों तक एक समान पहुंच प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में बाधाओं को कम करने का एक साधन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में सरकार द्वारा 2025 तक स्वास्थ्य व्यय को जीएसडीपी के *प्रतिशत* के रूप में 2.5 *प्रतिशत* तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसके विपरीत 2016-17 से 2021-22 के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर रा.रा.क्षे.दि.स. का व्यय 0.65 *प्रतिशत* से 0.79 *प्रतिशत* तक था। लेखापरीक्षा अवधि (2016-2022) के दौरान विशेषकर अवसंरचना परियोजनाओं में, बजट आबंटन के प्रति भारी बचत हुई, जो अवास्तविक बजट अनुमान और योजना में कमियों तथा कार्यों के निष्पादन में देरी को इंगित करता है।

राज्य की निधियों से कार्यान्वयन एजेंसी, जो दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डीएसएचएम) है, को निधियां जारी करने में देरी के कई उदाहरण थे। यह भी देखा गया कि डीएसएचएम जारी की गई निधियों का उपयोग भी नहीं कर सका, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि दिल्ली राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (डीएसएचएस) और इसके 11 आईडीएचएस के बैंक खातों में ₹ 510.71 करोड़ अव्ययित पड़े थे। केंद्रीय निधि के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई थी।

भारत कोविड-19 आपातत्कालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य तैयारी पैकेज के तहत प्रदान किए गए बजट (₹ 787.91 करोड़ में से ₹ 245.11 करोड़) का कम उपयोग हुआ था।

2016-17 से 2021-22 के दौरान चार चयनित अस्पतालों के संबंध में, लोक नायक अस्पताल में 13.14 से 34.95 *प्रतिशत*, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 9.4 से 49.88 *प्रतिशत*, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 6.1 से 10.42 *प्रतिशत* और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 6.31 से 27.31 *प्रतिशत* निधियों का कम उपयोग हुआ था।

6.1 परिचय

राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए वित्त राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान करती है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भारत सरकार तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त निधियों के प्रति बजट आबंटन, व्यय एवं बचत का विवरण **तालिका 6.1** में दिया गया है।

तालिका 6.1: स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट आबंटन और व्यय (भारत सरकार और दिल्ली सरकार)

(₹ करोड़ में)

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य को बजट आवंटन				दिल्ली सरकार			
वर्ष	धनराशि जारी की गई	व्यय	बचत	कुल बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत
2016-17	231.72	केंद्रीय निधि से व्यय का विवरण डीएसएचएम द्वारा नहीं रखा जा रहा है	ला.न.	5,238.71	4,008.24	1,230.47	23.49
2017-18	208.72		ला.न.	5,710.45	4,735.91	974.54	17.07
2018-19	135.51		ला.न.	6,699.96	5,482.03	1,217.93	18.18
2019-20	108.38		ला.न.	7,498.22	5,756.96	1,741.26	23.22
2020-21	846.71		ला.न.	7,652.78	6,314.31	1,338.47	17.49
2021-22	70.45		ला.न.	9870.25	9016.97	853.64	8.64

स्रोत: दिल्ली बजट भाषण और विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना

6.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मानदंडों की तुलना में राज्य द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय

एनएचपी 2017 का पैराग्राफ 2.4.3.1, सरकार द्वारा 2025 तक जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में स्वास्थ्य व्यय को मौजूदा 1.15 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 2.5 *प्रतिशत* करने और 2020 तक राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यय को उनके बजट के आठ *प्रतिशत* से अधिक तक बढ़ाने की परिकल्पना करता है।

अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया ग्राफ़ रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के जीएसडीपी में स्वास्थ्य क्षेत्र पर राज्य व्यय का प्रतिशत और इसके कुल व्यय को दर्शाता है।

चार्ट 6.1: दिल्ली सरकार द्वारा राज्य/जीएसडीपी के कुल व्यय में स्वास्थ्य पर व्यय

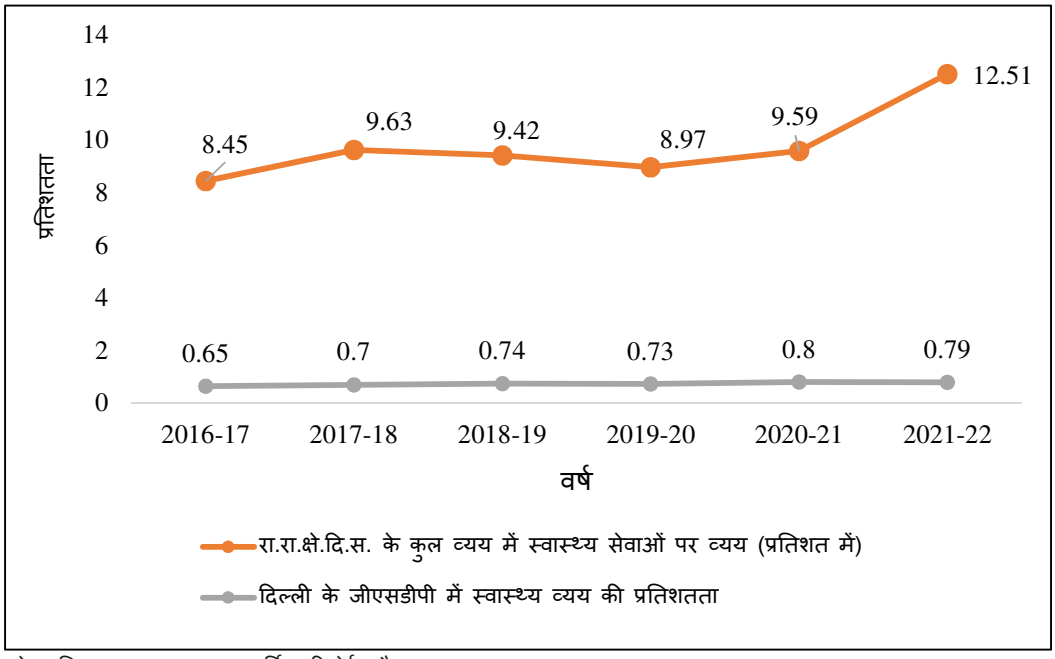

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और सूचना।

तालिका 6.1 से यह देखा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी व्यय 2016-17 में ₹ 4,008.24 करोड़ (राज्य के कुल व्यय का 8.45 *प्रतिशत*) से बढ़कर 2021-22 में ₹ 9,016.97 करोड़ (राज्य के कुल व्यय का 12.51 *प्रतिशत*) हो गया है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 2.5 *प्रतिशत* तक बढ़ाने के लक्ष्य (2025 तक) के प्रति, स्वास्थ्य पर व्यय जीएसडीपी के 0.65 *प्रतिशत* (2016-17) से बढ़कर जीएसडीपी का 0.79 *प्रतिशत* (2021-22) हो गया। ऐसे में सरकार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की अभी भी गुंजाइश है। यह भी देखा गया कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय बढ़ाने के लिए कोई रोडमैप तैयार नहीं किया है।

सरकार ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 को दिए गए अपने जबाव में कोई टिप्पणी नहीं की।

6.3 राजस्व और पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय में स्थापना व्यय, विभिन्न संस्थानों (एनएचएम, आयुष, आदि) को सहायता अनुदान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय, टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, राज्य/केंद्र सरकार की विभिन्न

योजनाएं/कार्यक्रम, अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता, दवाइयों की खरीद आदि पर व्यय शामिल हैं। पूंजीगत व्यय में स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों का निर्माण/प्रमुख मरम्मत, भूमि का अधिग्रहण आदि शामिल है।

2016-22 के दौरान स्वास्थ्य पर किए गए कुल व्यय ₹ 35,314.42 करोड़ में से, राजस्व व्यय ₹32,691.07 करोड़ (92.57 *प्रतिशत*) था, जबकि पूंजीगत व्यय ₹ 2,623.35 करोड़ (7.43 *प्रतिशत*) था जैसा कि **चार्ट 6.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट 6.2: राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय

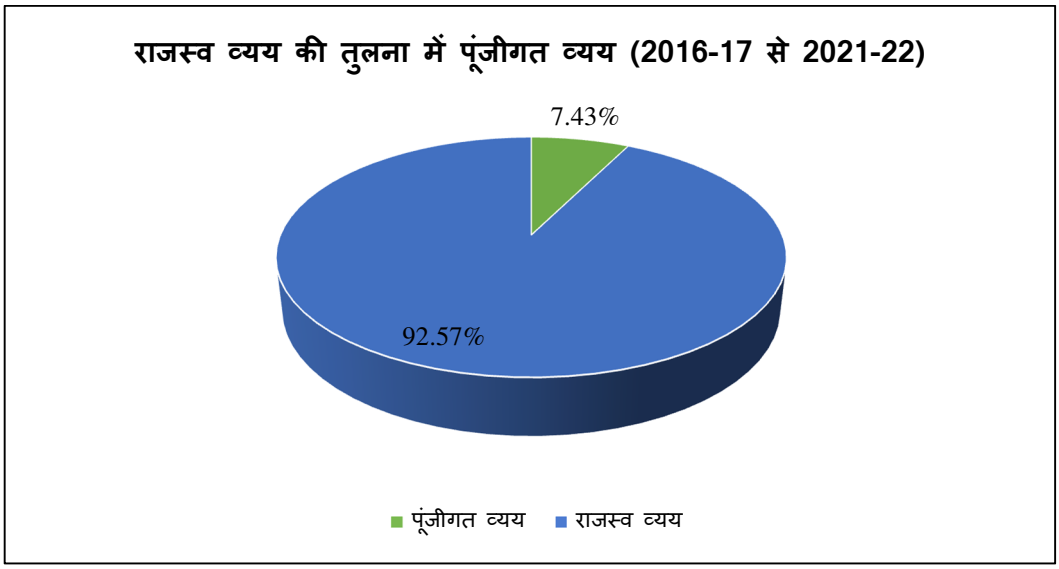

6.4 स्वास्थ्य अवसंरचना पर व्यय

विभाग ने 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹ 518.26 करोड़ से ₹ 1,440.50 करोड़ की रेंज का बजट आवंटित किया था जैसा कि **तालिका 6.2** में वर्णित है।

तालिका 6.2: अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का *प्रतिशत*
2016-17	625.49	337.04	288.45	46.12
2017-18	518.26	235.78	282.48	54.51
2018-19	706.24	152.48	553.76	78.41
2019-20	746.7	249.45	497.25	66.59
2020-21	866.5	399.58	466.92	53.89
2021-22	1440.50	1249.02	191.48	13.29

स्रोतः स्वास्थ्य विभाग का समेकित बजट एवं व्यय

तालिका 6.2 से यह देखा जा सकता है कि 2016-17 से 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य अवसंरचना पर आबंटन का 13.29 *प्रतिशत* (2021-22) से 78.41 *प्रतिशत* (2018-19) तक अप्रयुक्त रहा।

6.5 केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का वित्तीय प्रावधान और प्रबंधन

लेखापरीक्षा ने सीएसएस के संबंध में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और इसके प्रबंधन के लिए निधियों के प्रावधान की जांच की और पाई गई कमियां इस प्रकार हैं:

6.5.1 निधियों का प्रवाह

दिल्ली राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (डीएसएचएस) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए व्यापक दिशानिर्देशों के अनुरूप एक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) तैयार करती है। केंद्र सरकार द्वारा एनएचएम 100 *प्रतिशत* प्रायोजित था, परन्तु 2018-19 से, केंद्र और राज्य सरकार डीएसएचएस को क्रमशः 60:40 शेयर प्रदान करती है।

2016-17 से 2021-22 के दौरान डीएसएचएम द्वारा प्राप्त धनराशि और किए गए व्यय की स्थिति **तालिका 6.3** में दी गई है।

तालिका 6.3: डीएसएचएम द्वारा प्राप्त निधि और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अव्ययित शेष	भा.स. से प्राप्त	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी	अन्य आय (ब्याज आदि)	कुल उपलब्ध अनुदान	वास्तविक व्यय	समायोजन आदि	वर्ष के अंत में अव्ययित शेष
i	ii	iii	iv	V	vi (ii+iii+iv+v)	vii	viii	ix (vi-vii-viii)
2016-17	109.44	231.72	47.87	32.82	421.85	140.88	22.74	258.23
2017-18	258.23	208.72	0.00	8.95	475.90	182.13	2.00	291.77
2018-19	291.77	135.51	70.00	6.78	504.06	134.08	0	369.25
2019-20	369.25	108.38	104.17	7.82	590.35	154.57	0	435.05
2020-21	435.05	83.47	100.80	12.26	631.58	213.02	0	418.56
2021-22	418.57	70.45	125.91	9.10	624.04	177.52	5.24	510.71[1]
कुल		**838.25**	**448.75**	**77.73**		**1002.2**	**29.98**	

स्रोत: डीएसएचएम के वार्षिक खाते और डीएसएचएम द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

2016-22 के दौरान कुल व्यय ₹ 1,002.2 करोड़ था और ₹ 510.71 करोड़ डीएसएचएस और इसके 11 आईडीएचएस के बैंक खातों में अव्ययित पड़े थे (31 मार्च 2022)।

[1] इसमें ₹ 398.72 करोड़ का केंद्र हिस्सा और ₹ 111.99 करोड़ का राज्य हिस्सा शामिल है।

निधियों के कम उपयोग के कारणों में एनएचएम के अंतर्गत स्वीकृत संविदात्मक/आउटसोर्स कर्मचारियों के विभिन्न पदों को न भरना, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, आउटरीच गतिविधियों आदि के संचालन में कमी, गतिविधियों के अनुमोदन में देरी और एनएलईपी कार्यक्रम में कर्मचारियों की कमी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के अंतर्गत 'निगरानी, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण' गतिविधियों में कमी आदि शामिल थी।

चयनित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस रिपोर्ट के अध्याय VII के अंतर्गत शामिल किये गये हैं।

6.5.2 दिल्ली राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी को निधियां भेजने में देरी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एनएचएम कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रि.पीएओ, रा.रा.क्षे.दि.स. को आगे दिल्ली राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को भेजने के लिए मंजूरी आदेश जारी करती है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने ब्याज दर तय कर दी है (अक्टूबर 2017) जिसका राज्य स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा राज्य कोष से निधियों के हस्तांतरण में 15 दिनों से अधिक की देरी के लिए दावा किया जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के लिए डीएसएचएस के वार्षिक खातों की जांच से पता चला कि ₹ 29.93 करोड़ प्रि.पीएओ द्वारा रखे गए थे और डीएसएचएस को 81 से 104 दिनों की देरी से भेजे गए थे जैसा कि **तालिका 6.4** में बताया गया है।

तालिका 6.4: डीएसएचएस को निधियां भेजने में देरी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यक्रम/शीर्ष जिसमें भारत सरकार द्वारा निधि जारी की गई	आरबीआई से राज्य कोषागार में क्रेडिट की तिथि	दिल्ली राज्य स्वास्थ्य सोसायटी में क्रेडिट की तिथि	राशि	राज्य सरकार द्वारा डीएसएचएस को कितने दिन की देरी से निधियां जारी की गई
2020-21	आरसीएच	20.10.2020	1.2.2021	0.75	104 दिन
		20.7.2020	9.10.2020	3.02	81 दिन
		1.3.2021	23.6.2021	0.30	114 दिन
	एचएसएस एनआरएचएम	20.7.2020	9.10.2020	17.38	81 दिन
		20.10.2020	1.2.2021	4.35	104 दिन
		2 .3.2021	23.6.2021	0.82	113 दिन
		15.3.2021	23.6.2021	0.45	100 दिन
	अन्य स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण-एनयूएचएम	6.11.2020	12.2.2021	2.86	98 दिन
कुल				**29.93**	

डीएसएचएस को निधियां जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप 2020-21 में निधियां अव्ययित रह गई। इसके अलावा, डीएसएचएस ने निधियों के विलंबित प्रेषण के लिए प्रि.पीएओ, रा.रा.क्षे.दि.स. से कुछ भी ब्याज का दावा नहीं किया।

6.5.3 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए जारी निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जीएफआर नियम, 2017 में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने हैं।

डीएसएचएस को पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि के संबंध में जुलाई माह में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पता चला कि वर्ष 2016-21 के दौरान डीएसएचएस द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में 23 से 187 दिनों तक की देरी हुई थी। देरी के कारण लेखांकन डेटा के समेकन में देरी और कोविड-19 महामारी बताया गया। उपयोगिता प्रमाणपत्र के अभाव में लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था।

सरकार ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 को दिए गए अपने उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं की।

6.6 कोविड-19 के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग

आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया योजना के तहत रा.रा.क्षे.दि.स. को भारत सरकार से कुल ₹ 787.91 करोड़ (एकमुश्त राशि ₹ 24.67 करोड़, पहले चरण में ₹ 292.22 करोड़ और दूसरे चरण में ₹ 471.02 करोड़) प्राप्त हुए। इसमें से, रा.रा.क्षे.दि.स. ने केवल ₹ 542.84 करोड़ का उपयोग किया (नवंबर 2021) जैसाकि **तालिका 6.5** में वर्णित है।

तालिका 6.5: कोविड के लिए बजट आबंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उद्देश्य	कुल जारी राशि	व्यय	शेष (+) अव्ययित (-) अधिकता	बचत (*प्रतिशत* में)
1	2019-20 के दौरान एकमुश्त राशि जारी की गई	24.67	0	24.67	100
2	नमूना परिवहन सहित निदान	371.06	302.15	68.91	18.57
3	पीपीई और मास्क सहित दवाइयां और आपूर्ति	119.85	36.71	83.14	69.37
4	रोगी की देखभाल के लिए उपकरण/सुविधाएं जिनमें वेंटिलेटर आदि के लिए सहायता शामिल है	108.69	134.05	- 25.36	-
5	मानव संसाधन (सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के लिए प्रोत्साहन सहित)	52.00	21.48	30.52	58.69
6	गतिशीलता समर्थन	33.70	39.20	-5.50	-
7	हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित आईटी सिस्टम आदि	11.30	4.26	7.04	66.37
8	आईईसी/बीसीसी	6.93	0.73	6.20	-
9	प्रशिक्षण	0.42	0.25	0.17	-
10	विविध	61.11	4.00	57.11	93.45
कुल		**787.91**	**542.84**	**245.07**	

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कई शीर्षों के तहत प्रतिशत बचत बहुत अधिक थी। कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियों के कम उपयोग के कारणों की प्रतीक्षा की जा रही है।

चयनित अस्पतालों द्वारा कोविड-19 से संबंधित व्यय के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएचएम ने वर्ष 2020-21 के दौरान एलएनएच और आरजीएसएसएच को कोविड महामारी से निपटने के लिए क्रमशः ₹ 55.47 करोड़ और ₹ 31.18 करोड़ की राशि जारी की थी। आरजीएसएसएच को 2021-22 के दौरान ₹ 8.25 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हुआ। इन निधियों का उपयोग कोविड अवधि के दौरान मुख्य रूप से उपकरण, उपभोग्य सामग्रियों, डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के आवास, रसोई के सामान, परिवहन, आउटसोर्स स्टाफ आदि की खरीद के लिए किया गया था। 2020-21 के दौरान एलएनएच और आरजीएसएसएच ने प्राप्त अनुदान से क्रमशः ₹ 54.18 करोड़ और ₹ 31.05 करोड़ का उपयोग किया।

आरजीएसएसएच ने दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त सहायता अनुदान और उसके प्रति व्यय को अपने खातों में अस्पताल के नियमित सहायता अनुदान प्राप्त/व्यय के विवरण से अलग नहीं दिखाया है। इसके अलावा, एनएचएम निधियों से विभिन्न वस्तुओं (दवाइयां, पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, चिकित्सा उपकरण इत्यादि) की खरीद और वितरण के प्रति किसी भी अस्पताल में अलग स्टॉक रजिस्टर या इन्वेंटरी रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा एनएचएम निधि के प्रति किए गए व्यय का सत्यापन नहीं कर सका।

6.7 कोविड-19 टीकाकरण के लिए धनराशि जारी करने में देरी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को "कोविड-19 टीकाकरण" शीर्ष के तहत सहायता अनुदान के लिए मंजूरी दे दी ताकि इसे दिल्ली राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (डीएसएचएस) को भेजा जा सके। डीएसएचएस के आय एवं व्यय खाते (2020-21) और प्रासंगिक मंजूरी आदेशों से पता चला कि स्वा.एवं परि.कल्या. मंत्रालय ने स्वा.एवं. परि.कल्या. विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को "कोविड-19 टीकाकरण" शीर्ष के तहत, जनवरी 2021 में दो किस्तों में ₹ 9.60 करोड़ तथा ₹ 3.46 करोड़ और मार्च 2021 में ₹ 6.14 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया परंतु ये निधियां डीएसएचएस को अप्रैल और मई 2021 में ही जारी की गई थी।

डीएसएचएस ने आगे वितरण के लिए एकीकृत जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि भेज दी थी। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार मार्च 2022 तक ₹ 9.60 करोड़ में से ₹ 7.93 करोड़ अव्ययित रह गए।

6.8 नमूना जांच किए गए अस्पतालों द्वारा निधियों का कम उपयोग

2016-17 से 2021-22 के दौरान नमूना जांच किए गए अस्पतालों से संबंधित वर्ष-वार जारी की गई निधियां और व्यय **तालिका 6.6** में दर्शाई गयी है:

तालिका 6.6: चयनित अस्पतालों द्वारा निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एलएनएच						
बजट आवंटन	362.64	437.19	508.48	531.79	606.97	730.69
व्यय	345.64	416.46	473.53	496.59	563.21	717.55
बचत	17	20.73	34.95	35.2	43.76	13.14
आरजीएसएसएच						
प्राप्त अनुदान + पिछले वर्ष का अव्ययित स.अनु.	51.40	56.74	71.06	70.47	114.28	110.39
किया गया व्यय	36.66	40.68	61.66	20.18	78.89	77.70
बचत	14.74	16.06	9.4	49.88	35.39	32.69
जेएसएसएच						
प्राप्त अनुदान + पिछले वर्ष का अव्ययित स.अनु.	56.53	45.24	52.1	54.3	40.81	45.28
किया गया व्यय	28.79	39.14	37.3	32.49	30.09	34.86
बचत	27.74	6.1	14.8	21.81	10.72	10.42
सीएनबीसी						
प्राप्त अनुदान + पिछले वर्ष का अव्ययित स.अनु.	76.23	85.13	104.08	99.81	89.94	99.93
किया गया व्यय	64.1	65.05	76.77	79.12	83.63	91.08
बचत	12.13	20.08	27.31	20.69	6.31	8.85

स्रोत: अस्पतालों द्वारा प्रदत्त सूचना

तालिका 6.6 से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किए गए अस्पताल 2016-17 से 2021-22 के दौरान कुल उपलब्ध धनराशि का उपयोग करने में असमर्थ थे। आरजीएसएसएच में 13 से 71 *प्रतिशत*, जेएसएसएच में 13 से 49 *प्रतिशत*, सीएनबीसी में सात से 26 *प्रतिशत* और एलएनएच में दो से सात *प्रतिशत* तक आवंटित धनराशि का कम उपयोग हुआ।

6.9 दवाइयों के लिए अलग बजट शीर्ष का अभाव

विभाग फार्मेसी पर मानक संचालन प्रक्रिया की परिकल्पना करता है कि स्वास्थ्य सुविधा को एक अलग शीर्ष, "दवाइयों के लिए बजट" के अंतर्गत दवाइयों के लिए बजट निर्दिष्ट करना होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लोक नायक अस्पताल के संबंध में, दवाइयों के लिए बजट को आपूर्ति और सामग्री शीर्ष के तहत शामिल किया गया था जिसमें उपकरण, सर्जिकल उपभोग्य वस्तुएं, स्टेशनरी, रसोई के सामान और राशन आदि भी शामिल थे। शेष तीन चयनित अस्पताल विभाग से केवल वेतन, सामान्य और पूंजीगत संपत्ति शीर्षों के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं। अत: लेखापरीक्षा के लिए दवाइयों और अन्य वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यय को अलग करना संभव नहीं था।

सीएनबीसी ने अपने उत्तर (अगस्त 2022) में स्वीकार किया कि उसकी लेखा शाखा केवल तीन विशिष्ट शीर्षों के अंतर्गत रिकॉर्ड रख रही थी, जिसके तहत सहायता अनुदान के रूप में बजट आवंटित किया गया है।

सरकार ने दिनांक 13 दिसंबर 2023 को दिए गए अपने उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं की।

सिफारिश 6.1: राज्य सरकार समयबद्ध तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय को जीएसडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

सिफारिश 6.2: डीएसएचएम के मिशन निदेशक, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत प्राप्त निधियों का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के माध्यम से इष्टतम उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।